



2026:AHC:25249

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या – 403 / 2026

किशन सिंह

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 8 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : पुण्य शील पाण्डेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:—

"निगरानी संख्या 413 / 2025 (कंप्यूटर केस संख्या AG2025015000413) (हर प्रसाद बनाम किशन सिंह व अन्य) में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 09.10.2025 को रद्द करने हेतु उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 34 के तहत कार्यवाही में, तहसीलदार द्वारा अवैध और मनमाने तरीके से निजी प्रतिवादी का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की ओर से आयुक्त के समक्ष निगरानी दायर की गई थी, जिसे आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और मामले को तहसीलदार के पास कानून के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही तय करने के लिए रिमांड कर दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि रिमांड आदेश के खिलाफ, निजी प्रतिवादी द्वारा राजस्व परिषद के समक्ष निगरानी दायर की गई है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और मनमाने तरीके से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई है, अतः निगरानी में अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने वाले आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और राजस्व परिषद को कानून के अनुसार निगरानी का निर्णय करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

4. दूसरी ओर, राज्य के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और ग्राम सभा के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्व परिषद में लंबित निगरानी के दौरान दिए गए अंतरिम आदेश के खिलाफ रिट याचिका विचारणीय नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को इस न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने के बजाय राजस्व परिषद के समक्ष निगरानी की कार्यवाही में मुकाबला करना चाहिए।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर निगरानी, जो धारा 34 की कार्यवाही से उत्पन्न हुई है, राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है और तहसीलदार के समक्ष मामले को भेजने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई है।

7. चूंकि निजी प्रतिवादी द्वारा दायर निगरानी राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है और एक अंतरिम आदेश प्रभावी है, इसलिए याचिकाकर्ता को राजस्व परिषद के समक्ष उपस्थित होना चाहिए और कानून के अनुसार वहां कार्यवाही में भाग लेना चाहिए।

8. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व परिषद, सर्किट कोर्ट संख्या 2, आगरा, संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार निगरानी संख्या 413 / 2025 का निर्णय यथाशीघ्र, अधिमानतः 3 महीने की अवधि के भीतर करें।

(चंद्र कुमार राय, जे.)

5 फरवरी, 2026

सी.प्रकाश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"